न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या : 5/2012 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (R.C.M.S . no 2012/00068)

1. जगदीश पुत्र रघुनाथ
2. दीनदयाल पुत्र रघुनाथ
3. राजेश पुत्र लक्ष्मन प्रसाद
4. लक्ष्मीदेवी वेवा लक्ष्मन प्रसाद

जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कुम्हेर तहसील तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. खैमा पुत्र गिर्राज (मृतक)
   1/1 माया वेवा खैमा
   1/2 होती पुत्र खैमा
   1/3 सुनील पुत्र खैमा
   1/4 श्यामवती पुत्री खैमा
   1/5 गीता पुत्री खैमा लावल्द (फौत)
   1/6 केशा पुत्री खैमा (फौत)
   1/6/1 गुडिया पुत्री केशा
   1/6/2 पूजा पुत्री केशा
   1/6/3 आशु पुत्री केशा
   1/6/4 विष्णु पुत्र केशा नावालिग व विलायत पप्पू पिता खुद

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 19.8.2011 बाबत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट मि0नं0 126/2011 हरीकिशन बनाम सरकार।

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 11.09.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के निर्णय दिनांक 19.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि साविक आराजी ख0नं0 2389 रकबा 2 बीघा 4 विस्बा , ख0नं0 2390 रकबा 1 बीघा 9 विस्बा, ख0नं0 2396 रकबा 1 बीघा 18 विस्बा, ख0नं0 2397 रकबा 1 बीघा 16 विस्बा, ख0नं0 2384 रकबा 1 बीघा 3 विस्बा स्थित वाकै कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में प्रार्थी/रैस्पो0 की कब्जे काश्त की आराजी है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बरान से हाल आराजी ख0नं0 2654/0.16, 2655/0.01, 2656/0.36, 2659/0.36 किता—4 रकबा 0.89 है0 बनाये गये जिसमें साविक के मुकाबले 0.46 रकबा कम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी/रैस्पो0 साविक के मुकाबले मौके पर काबिज है। इसलिऐ साविक के मुकाबिले हाल रकबा पूर्ति की जावे। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 के जरिये प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया कि उपखण्डाधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 26.12.1991 के मुताबिक तथा वर्तमान में तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 स्थित वाकै कस्बा कुम्हेर द्वितीय प्रार्थी के साविक खसरा नम्बर 2390 मिन रकबा 1 बीघा 9 विस्बा से ही बना है तथा हाल खसरा नम्बर 2662/0.12 वाकै कस्बा कुम्हेर द्वितीय अप्रार्थी संख्या 2 रघुनाथ का साविक खसरा नम्बर 2390 मिन रकबा 15 विस्बा के समतुल्य सही दुरूस्त किया गया है। प्रार्थना पत्र इसी मुताबिक निर्णित किया जाता है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी इन्द्राज इसी मुताबिक दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलार्थी साविक ख0नं0 2390 मिन रकबा 15 विस्बा के खातेदार रहे है जिसके हाल नम्बर 2650/0.08, 2660/0.05 बनाये है जो साविक नाप के मुताबिक सही बनाये है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 20.12.1991 उक्त नम्बरान की खातेदारी के सही बनना अंकित किया गया है। रैस्पोडेन्ट द्वारा गलत व खिलाफ कानून प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जबकि कानून बन्दोबस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद धारा 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं था। दुरूस्ती केवल दावा से ही की जा सकती है जैसा कि आर0आर0डी0 1990 पृष्441, 460 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का मत है। यह कि रैस्पोडेन्ट द्वारा मिली भगत से गलत रिपोर्ट के आधार पर जो आदेश जैर अपील पारित किया गया है वह कानूनन गलत है क्यों कि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से रिमाण्ड होकर एस0डी0ओ0 कुम्हेर को भेजा गया है जिसमें पक्षकारान की तामील होनी थी। प्रकरण में एस0डी0ओ0 कोर्ट कुम्हेर में प्रार्थी खैमा हाजिर हुआ था अप्रार्थीगण की तलबी हेतु प्रकरण में तारीख पेशी नियत की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण हरीकिशन व

गंगू फौत हो गये जिनकी कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अप्रार्थी रघुनाथ भी दिनांक 28.5.2009 को फौत हो गया जिसके वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया। यह कि तहत अदालत में प्रार्थी खैमा द्वारा प्रार्थनापत्र हरीकिशन व गंगू को तर्क कराने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर बहस सुन कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट का निर्णय दिनांक 19.8.2011 को कर दिया । अपीलान्ट को न तो प्रकरण में पक्षकार बनाया ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। निर्णय मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है जो गैर कानूनी एवं निरस्त योग्य है। प्रकरण में आर्डरशीट दिनांक 6.10.2009 का अवलोकन करें प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण की तलबी हो। इसके बाद दिनांक 8.3.2010 की आर्डरशीट देखें हरीकिशन प्रार्थी संख्या–1 की मृत्यु हो चुकी है वारिसान की कार्यवाही हेतु लिखा गया है। दिनांक 9.8.2011 की आर्डरशीट का अवलोकन करें प्रार्थी की तरफ से प्रार्थना पत्र हरीकिशन व गंगू को तर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ बहस सुनी गई आदेश हेतु दिनांक 19.8.2011 को पेश हो। दिनांक 19. 8.2011 को उक्त प्रार्थना पत्र तर्क करने हेतु प्रस्तुत हुआ था उसका निर्णय करना था जबकि प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट का ही निर्णय कर दिया। आर्डरशीट पर कहीं भी नहीं है कि अप्रार्थी रघुनाथ जो सन् 2009 में ही फौत हो गया था न तो उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया ना ही अपीलान्ट की सुनवाई का कहीं किसी आर्डरशीट में नहीं है कि उनको तलब भी किया गया हो । आदेश प्रारम्भ से ही खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है जो काबिल मंसूखी के है। अपीलान्टस मृतक रघुनाथ के वारिसान है और अपीलाधीन आदेश से पीडित है इसलिऐ अपील प्रस्तुत किये जाने के अधिकारी है। यह कि तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 2660/0.08 को रैस्पोडेन्ट की खातेदारी का मानने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 2660/0.08 व खसरा नम्बर 2662/0.05 पर काबिज चले आ रहे है। पूर्व आदेश अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दिनांक 17.2.2003 की ओर तहत अदालत ने कतई ध्यान नहीं दिया है और महज इस आधार पर कि अपीलान्ट के पिता रघुनाथ को खसरा नम्बर 2662/0.05 पर खातेदार दर्ज किया हुआ है और उसके रकबे की पूर्ति हाल खसरा नम्बर 2663 में से 7 ऐयर कम करके 2662 का रकबा 12 ऐयर दुरूस्त किया जा चुका है इसलिऐ अब खसरा नम्बर 2660/0.08 रैस्पोडेन्ट की खातेदारी का है, मानने में कानूनी गलती की है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मिल्लतपूर्ण है रैस्पोडेन्ट के रकबा की पूर्ति हाल खसरा नम्बर 2663 में से की जा सकती थी। हाल नम्बर 2660/0.08 वदस्तूर अपीलान्ट के पिता की खातेदारी में रहना न्यायोचित था मगर ऐसा नहीं करते हुये तहत अदालत द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 26.12.1991 को ही बहाल कर दिया है जो गलत है। हाल खसरा नम्बर 2662/0.12 पर रघुनाथ पुत्र गंगाशरण की जाति जाटव हाल रिकार्ड में गलत अंकित की गई है जबकि अपीलान्ट की जाति ब्राहमण है। यह कि अपीलाधीन आदेश बहुत ही जल्दवाजी व चालाकी से एकतरफा में पारित किया गया है जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है और काबिले मंसूखी है। इसलिऐ अपीलाधीन आदेश का अपीलान्ट को इल्म नहीं था। अपीलान्ट संख्या–2 जब तहसीलदार कुम्हेर किसी अन्य कार्य से दिनांक 23.12.2011 को आया तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। तत्काल नकल आवेदन किया और दिनांक

23.12.2011 को नकल प्राप्त हुई। तदोपरान्त कार्यवाही कर बिना देरी के नकल पेश की गई है अतः जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि हरकिशन, गंगू, खैमा द्वारा एक प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी भरतपुर के यहां पेश किया था जिसे एसडीओ भरतपुर ने दिनांक 26.12.1991 को स्वीकार किया। हाल आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08, खसरा नम्बर 2661/0.02, 2657/0.21 ऐयर को रैस्पोडेन्ट हरकिशन, गंगू, खैमा के हक में दर्ज करने के आदेश दिये थे। एसडीओ भरतपुर के आदेश से असन्तुष्ठ होकर रघुनाथ की ओर से ए0डी0सी0 जयपुर कैम्प भरतपुर में अपील पेश की जिसमें जाहिर किया कि साविक खसरा नम्बर 2390 रकबा 0.15 विस्बा का खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसका भू प्रबन्ध विभाग ने 2660/0.08, 2662/0.05 बनाये है जो गत के मुकाबिले सही है। एसडीओ भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 26.12.91 में आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 ऐयर हरिकिशन, गंगू, खैमा के हक में दर्ज कर दिये थे। यह कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प भरतपुर ने आदेश दिनांक 17.2.2003 से एसडीओ भरतपुर के आदेश दिनांक 26.12.1991 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वे रिकार्ड व मौके की जांच कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। यह कि दिनांक 15.6.2005 को पटवारी हल्का कुम्हेर ाा ने मौके पर जाकर आई0एल0आर0 के साथ जाकर अपनी रिपोर्ट एसडीओ भरतपुर को दी कि रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 2660/0.08 गंगू, हरिकिशन, खैमा पुत्र गिर्राज लोधा की खातेदारी में दर्ज है और कुछ में सरसों डंठल डाले हुये है और एक विटोरा बना हुआ है और तीन ट्रक पत्थर पडे हुये है। पटवारी हल्का ने दिनांक 20.5.2005 को रिपोर्ट की थी कि आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 का मौका देखा गया व सम्वत 2059 से 2062 के अनुसार खाता संख्या 134 आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 गंगू, हरिकिशन,खैमा के नाम है जो दक्षिण व पश्चिम एक विटोरा बनाया है जो मुतविरान के द्वारा खैमा का होना बताया है। दिनांक 19.8.2011 को एसडीओ कुम्हेर ने आदेश दिया कि आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 खैमा की खातेदारी में है इस आदेश की पुनः जैरे अपील की गई है। यह कि साविक आराजी खसरा नम्बर 2390/2 बीघा 4 विस्बा का है। जिसमें से 1 बीघा 9 विस्बा गंगू, हरिकिशन, खैमा खातेदार हैं। जमाबन्दी सम्बत 2027 से 2030 में खाता संख्या 155 पर साविक खसरा नम्बर 2390 रकबा 1 बीघा 9 विस्बा के रेस्पोडेन्ट हरिकिशन, गंगू, खैमा दर्ज है। 2390 खसरा से हाल खसरा 2660/0.08 , 2662/0.05 दर्ज किये जबकि मौके पर 2662/0.02 पर ही कब्जा रघुनाथ का है। खसरा नम्बर 2660/0.08 पर रिपोर्ट दिनांक 31.5.2005 के अनुसार खैमा का कब्जा है और

विटोरा बना हुआ है। मौका पर्चा दिनांक 15.6.2005 में पटवारी व गिरदावर ने खैमा का कब्जा माना है । जमाबन्दी सम्वत 2059 से 2062 में खसरा नम्बर 2662/0.12 ऐयर पर रघुनाथ का कब्जा है जो साविक 2390 रकबा 0.15 ऐयर के समतुल्य रकबा है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 2660 रकबा 0.08 रकबा पर जो कि खैमा के नाम दर्ज हो रहा है। खसरा नम्बर 2390 रकबा 1 बीघा 9 विस्बा के अनुसार सही हो रहे है। इस प्रकार न्यायालय हाजा में जो अपील 2660/0.08 की बाबत की है वह रैस्पोडेन्टस की है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 2662/0.12 ऐयर जो साविक आराजी खसरा नम्बर 2390 जो 0.15 के समतुल्य है उसकी खातेदारी अपीलान्ट के नाम है। ऐसी स्थिति में हाल आराजी खसरा नम्बर 2660/0.08 रैस्पोडेन्ट का है सही माना है। अपीलान्ट ने जो अपील 19.8.2011 के आदेश 23.12. 2011 की है जानकारी से की है वह असत्य है । अपील मियाद बाहर पेश करने के पर्याप्त आधार नहीं दिये है। मियाद बाहर अपील पेश करने पर कोई अधिकार नहीं मिलते है। तहत अदालत द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत है जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत अपील उपखण्डाधिकारी कुम्हेर के आदेश दिनांक 19.8.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

रैस्पोडेन्टस ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया जिसे तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 के तहत स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का कहना है कि यह आदेश विधि–विरूद्ध है जिसमें तमाम न्यायिक प्रक्रियाओं को अनदेखा किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है और सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है क्यों कि अपीलान्टस मृतक रधुनाथ की सन्तान है और रघुनाथ प्रकरण में तहत अदालत में अप्रार्थी संख्या –2 की हैसियत से पक्षकार मुकदमा थे जिनका दिनांक 28.5.2009 को इन्तकाल हो चुका है मृत्यु प्रमाण पत्र तहत पत्रावली में संलग्न है बाबजूद इसके अपीलान्टस को जानबूझ कर तहत अदालत ने मृतक रघुनाथ के संदर्भ में कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की गई और जो व्यक्ति दिनांक 28.5.2009 को फौत हो चुका है उसके खिलाफ दिनांक 19.8.2011 को निर्णय पारित कर दिया गया है मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य रहता है। अपीलान्टस के कथनों के संदर्भ में तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से कायम मुकामान बहस अथवा वारिसानों को रिकार्ड पर लेने संबधित कार्यवाही का अभाव पाया गया है। इसके अलावा आदेशिका दिनांक 4.8.2011 के अंतर्गत प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत तर्क किये जाने नाम प्रार्थी हरिसिंह व गंगू पेश किया जिस पर बहस सुनी गई और आदेश हेतु दिनांक 19.8.2011 नियत की गई है और दिनांक 19.8.2011 को मूल प्रकरण का निर्णय पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायिक प्रक्रियाओं का अभाव स्पष्ट प्रमाणित होता है। अदालत हाजा में उपस्थित अपीलान्टस के पिता रघुनाथ का दिनांक 28.5.2009 को फौत होना पत्रावली में उपलब्ध उनके मृत्यु प्रमाण पत्र दिनाक 19.6.2009 से प्रमाणित है एवं दौराने विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार के फौत होने पर वादी/प्रार्थी का यह दायित्व रहता है कि वह तत्सयम इस बाबत अदालत को सूचना दे और अदालत मृत पक्षकार के संदर्भ में बहस सुन कर उसके वारिसानों को रिकार्ड पर लेने संबधी कार्यवाही सुनिश्चित करें । इस प्रकरण में मृतक पक्षकारान के वारिसानों को रिकार्ड पर नहीं लिया जाकर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रियाओं जो न्यायहित में अति महत्वपूर्ण रहती है को अनदेखा किया गया है । तहत पत्रावली में आर्डरशीट 25.7.2005 के बाद प्रकरण में 9.8.2005 ता0पे0 नियत की गई है किन्तु उसके बाद आर्डरशीट सीधे 6.10.2009 को लिखी गई है । इस अन्तराल का अगली आर्डरशीट में कोई स्पष्ट कारण अंकित नही है जबकि आदेशिकाओं के अन्तराल को अगली आदेशिका में स्पष्ट किया जाना न्यायिक रहता है। इसके अलावा पक्षकार के नाम तर्क किये जाने के प्रार्थना पत्र पर बहस सुना जाना और प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिया जाना न्यायोचित नहीं रहता है । मैरिट पर निर्णय किसी भी पक्षकार के हक में बनता हो यह अलग बात है किन्तु उससे पहले अदालत का यह दायित्व होता है कि वह मैरिट पर विचार किये जाने अथवा अन्तिम निर्णय लिये से पूर्व वे समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति सुनिश्चित करें जो कानून एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुरूप हो। इस लिहाज से यह प्रकरण पुनः समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति हेतु रिमाण्ड किया जाना ही उचित रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार/रिमाण्ड की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.8.2011 निरस्त किया जाता है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपर्युक्तानुसार समस्त न्यायायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किया जाना

सुनिश्चत करें ताकि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित हो सके इसके अलावा प्रकरण में नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पुनः न्यायसंगत एवं तार्किक निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official